

राजस्व अपील संख्या 243 / 2023

अनवान

रामचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार

दिनांक 05.07.2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट, जिला जोधपुर के द्वारा आदेश क्रमांक प्र0ग0सं0/2021/31 निर्णय दिनांक 02.10.2021 अनवान सरकार बनाम थाटा नगर वगैराह के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांत अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.10.2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया।

समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार, लोहावट को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जाँच कर मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तैयार करे। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, लोहावट उक्तानुसार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा के मध्यनजर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर